FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0027 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 14/12/2024 16:00 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

Anti Corruption Bureau * Rohtak * Police Station

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/12/2024 Time (समय): 15:35 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009 Date and Time (दिनांक और समय): 14/12/2024 15:49 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 80 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): भ्र0नि0ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अनिल कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री द यानन्द

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

Scanned with OKEN Scanner

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गाँव राजगढ़ तहसील-जुलाना, जिला-जीन्द, JULANA, JIND, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गाँव राजगढ़ तहसील-जुलाना, जिला-जीन्द, JULANA, JIND, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9728320928

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सोनिया अग्रवाल			1. उपाध्यक्षा हरियाणा राज्य महिला,आयोग पंचकूला PANCHKULA,HARYANA,INDIA
2	पी० ए० कुलबीर सिंह			1. हरियाणा राज्य महिला आयोग,पंचकूला PANCHKULA,HARYANA,INDIA

Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak Police Station

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

Scanned with OKEN Scanner

जीन्द।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मैं अनिल कुमार पुत्र श्री द यानन्द वासी गॉव राजगढ़ तहसील जुलाना जिला जीन्द का रहने वाला हूँ मैं सरकारी JBT अध्यापक गॉव डुमरखॉ में कार्यरत हूँ। वर्ष 2019 में मेरी शादी नीलम पुत्री कर्ण सिंह वासी रोहद जिला झज्जर के साथ हुई थी जो अब पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर बहादुरगढ़ में कार्यरत है। जिसके साथ शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे से अनबन रहने लगी। जिसने कई बार मेरे व मेरे परिवार के खिलाफ महिला थाना बहादुरगढ़ में दरखास्त दी थी जिन में हमारा पंचायती तौर पर राजीनामा हो गया था। उसके बाद दिनांक25.11.24 को नीलम ने मेरे व मेरे परिवार के खिलाफ एक दरखास्त दोबारा हरियाणा राज्य महिला आयोग पंचकुला को दी हुई है जो इस सम्बंध मे दिनांक 28.11.24 को हरियाणा राज्य महिला आयोग पंचकुला में मुझे बुलाया गया जहॉ पर श्रीमती सोनिया अग्रवाल उपाध्यक्षा हरियाणा राज्य महिला आयोग व उसका पी० ए० कुलबीर सिंह उनके कार्यालय पंचकुला में मिले जिन्होने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। दिनांक 29.11.24 को सोनिया अग्रवाल के पी०ए० कुलबीर का फोन मेरे पास आया कि मैडम ने आपको 30.11. 24 को आपके केस के सम्बन्ध में रैस्ट हाउस खरखौदा मिलने के लिए बुलाया है आप अपने कागजात लेकर आ जाना। मे दिनांक 30.11.24 को मैडम सोनिया व उसके पी० ए. कुलबीर सिंह से रेस्ट हाउस खरखौदा में मिला तो उन्होंने मुझे दिनांक 12.12.24 को उपायुक्त कार्यालय सोनीपत में आने बारे कहा। जो दिनांक 12.12.24 को कलबीर सिंह से फोन पर बात की तो उसने 60 हजार रुपये लेकर सोनीपत आने बारे कहा। मे दिनांक 12.12.24 को उपायुक्त कार्यालय सोनीपत में उसके पी०ए० कुलबीर सिंह से मिला तो उसने पैसे लेकर मैडम से मिलने बारे कहा पी0ए0 कुलबीर सिंह के कहने पर मैने सोनिया अग्रवाल को उसी दिन साय को के समय रैस्ट हाउस सोनीपत में मिला तो उसने मुझसे मेरे खिलाफ दी हुई शिकायत को रफा दफा करने की एवज में एक लाख रुपये बतौर रिश्वत की मांग की और मुझसे कहा कि आप मुझे एक लाख रुपये दोगे तो मैं आपका इस महिला नीलम से आपका पीछा छुड वा दूंगी। और यदि आप मुझे एक लाख रुपये नहीं दोगे तो मैं आपके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करवा दूंगी। इस सोनिया अग्रवाल उपाध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग ने मुझ पर एक लाख रिश्वत देने का दबाव बनाया जो में इसको ये रिश्वत के पैसे देना नहीं चाहता। यदि मैंने इसको एक लाख रुपये रिश्वत के नहीं दिए तो यह मेरे व मेरे परिवार के खिलाफ एफ० आई० आर दर्ज करवा देगी। कृपा करके इस सोनिया अग्रवाल उपाध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग व इसके पी०ए० कुलबीर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। जिसने मुझे आज रिश्वत के पैसे लेकर खरखोदा बुलाया है। रिश्वत की मांग करने बारे मैंने सोनिया अग्रवाल व उसके पी०ए० कुलबीर सिंह की रिकॉर्डिंग की हुई है। जो आपको बाद में पेश कर दूंगा। हस्ता अंग्रेजी

प्राथी Anil

अनिल कुमार पुत्र श्री द यानन्द

वासी गॉव-राजगढ़ तहसील-जुलाना

जिला-जीन्द

Mob. No. 9728320928, 8168849822

Date 14.12.2024.

Anti Corruption Bureau Police Station

कार्यवाही पुलिस : आज दिनांक 14.12.24 को मन उप पुलिस अधीक्षक हाजीर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेंद्र जीन्द हुँ कि शिकायतकर्ता अनील कुमार पुत्र श्री द यानन्द वासी राजगढ़ तहसील जुलाना जिला जीन्द उपरोक्त ने हाजी कार्यालय आकर एक हस्तलिखित दरख्सात बरखिलाफ सोनिया अग्रवाल उपाध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग व इसके पी० ए० कुलबीर सिंह के बाबत मांगने रिश्वत मन उप पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसपर मन उप पुलिस अधीक्षक ने उच्चाधिकारियों से बजरिया टेलीफोन सम्पर्क करके हालात रेड बतलाए जिसपर उच्चधिकारियों ने तुरन्त उचित कार्यवाही अमल में लायी जाने बारे कहा, मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा सवतन्त्र गवाह नियुक्त करने हेतु आग्रह करने पर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो करनाल मण्डल करनाल ने श्री मनोज कुमार SDO HVPNL जीन्द को रेड की कार्यवाही के लिए बतौर स्वतन्त्र गवाह नियुक्त किया और आदेशो को व्हाटसअप के माध्यम से मेरे पास भेजा जिसका पिन्ट निकालकर रखा गया और श्री मनोज कुमार SDO HVPNL जीन्द को बजरिया टेलीफोन कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो जीन्द पहुंचने बारे सूचित किया गया। दरखास्त मजूबन से सरेदस्त सुरत जुर्म 7 Pc Act 1988 61 BNS 2023 का होना पाया जाने पर तहरीर बराये कायमी मुकदमा बदस्त EHC कृष्ण कुमार 1666/RTK के थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मन्डल रोहतक भेजी जा रही है बाद कायमी मुकद मा नम्बर पर्चा से सूचित करे तथा मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों को भिजवायी जावे। तफतीशी बैग, लैपटाप, प्रिन्टर, विडियो

Scanned with OKEN Scanner

कैमरा हमरा है मन उप पुलिस अधीक्षक वर इंतजार स्वतन्त्र गवाह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द हुँ ।
आज कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द ।
हस्ता अंग्रेजी KAMALJEET
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उपकेन्द्र जीन्द ।
दिनांक 14.12.24
AT. 10.30 AM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर हजा के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 27 दिनॉक 14.12.2024 U/S 7 P.C.Act -1988 61 BNS थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्पयुटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा EHC कृष्ण कुमार 1666/RTK की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से नि0 कर्मबीर सिंह न0 164/एच की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है। नोट थाना हजा में उ0पु0अ0 कमलजीत भ्र0नि0ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द की CCTNS आई0डी0 नही होने के कारण अनुसंधान अधिकारी नि0 रामनिवास सिंह न0 241/झज्जर को दर्शाया गया है। जो इस मुकदमा हजा का अनुसंधान अधिकारी उ0पु0अ0 कमलजीत भ्र0नि0ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द है।

Police Station Anti Corruption Bureau

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** RAM NIWAS **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 341JJR **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Scanned with OKEN Scanner

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Karmbir Singh

Rank (पद): Inspector

No. 164/II

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Anti Corruption Bureau ★ Rohtak ★ Police Station